डॉक्यूमेंट्री फिल्म 'न्याय सबके लिए' की शूटिंग के लिए खूंटी पहुंचे निर्माता-निर्देशक, प्रशंसकों से घिरे रहे

डायन प्रथा पर फिल्म बना रहे प्रकाश झा

खूंटी | प्रतिनिधि

डायन प्रथा उन्मूलन को लेकर झारखंड विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा किये जा रहे जागरुकता कार्यक्रम पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बन रही है। इसका निर्देशन बॉलीवुड के मशहूर फिल्म निर्देशक प्रकाश झा कर रहे हैं।

रविवार को तिरला में हुए जागरुकता कार्यक्रम को उनके निर्देशन पर फिल्माया गया। डायन प्रथा पर बनी डॉक्यूमेंट्री फिल्म को टीवी कार्यक्रम, डीवीडी, सीडी द्वारा दिखाया जाएगा। फिल्म निर्देशक प्रकाश झा ने कहा कि गरीब, पिछड़े, महिला, बच्चे, दलित, कमजोर सभी को न्याय मिले इसकी व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट द्वारा की गई है। इसकी व्यवस्था जिलास्तर तक है। इसके तहत जागरुकता कार्यक्रम और छोटी-छोटी फल्मिें बनाई जा रही है। इससे सभी को पता चले कि न्याय सबके लिए है। उन्होंने कहा कि देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे कार्यक्रम किए जा रहे हैं और फिल्म भी बनाई जा रही है। डायन प्रथा पर कॉमर्शियल फिल्म के सवाल पर उन्होंने कहा कि अगर कभी कोई कहानी सामने आएगी तो ऐसी फिल्में भी बना सकते हैं। काम करने के लिए हजारों मुद्दे हैं। उन्होंने बताया कि डायन प्रथा के अलावा भी कई अन्य मुद्दों पर भी फिल्में बनाई जाएंगी। गुमला में भी रविवार को ही इसी तरह की फिल्म की शूटिंग की गई।

लोगों के साथ खिचवाये फोटो : फिल्म निर्देशक प्रकाश झा बड़े सादे तरीके से खूंटी के तिरला पहुंचे। ग्रामीण महिलाएं और बच्चे तो उन्हें पहचान भी नहीं पाये। कार्यक्रम में आये जिला कोर्ट और जिला प्रशासन के कर्मचारियों ने उन्हें पहचानते हुए साथ फोटो खिचवाने के लिए दौड़ पड़े। प्रकाश झा ने भी बड़ी सहजता के साथ सभी के साथ फोटो खिचवाया। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद कई जज और अधिवक्ताओं ने भी उनके साथ अपनी फोटो ली। इसके अलावा वे ग्रामीण बच्चों के साथ भी फोटो खिंचवाए।

रविवार को डॉक्यूमेंट्री फिल्म न्याय सबके लिए की शूटिंग के लिए खूंटी पहुंचे प्रकाश झा के साथ लोगों ने फोटो खिंचवाए।

प्रभात खबर दिनांक 04-07-2016

आयोजन. डायन प्रथा उन्मूलन को लेकर जागरूकता कार्यक्रम, बोले चीफ जस्टिस

अंधविश्वास है डायन प्रथा

प्रताड़ित किया जा रहा है, तो तुरंत पुलिस को दें सूचना

कार्यक्रम में मौजूद मुख्य न्यायाधीश व अन्य.

महिलाओं से बातचीत करते चीफ जस्टिस व अन्य.

प्रतिनिधि ▸ खूंटी

झालसा के तत्वावधान में खूंटी के तिरला गांव स्थित सामुदायिक भवन में डायन प्रथा उन्मूलन को लेकर रविवार को जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया. मौके पर झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस वीरेंद्र सिंह उपस्थित थे. उन्होंने कहा कि खूंटी जिला का नाम डायन प्रथा के मामलों में सबसे आगे है. यही कारण है कि उक्त जागरूकता कार्यक्रम को खूंटी से ही शुरू किया जा रहा है. डायन प्रथा उन्मूलन के लिए जागरूकता कार्यक्रम को गांव-गांव तक ग्रामीणों के बीच पहुंचाने की जरूरत है. इस कार्यक्रम में महिलाओं, जनप्रतिनिधि, पारा लीगल वोलेंटियर को भी आगे आने की जरूरत है.

उन्होंने कहा कि डायन प्रथा को लेकर कानून बने हैं, जनता इसका लाभ लें. गांव में किसी को डायन कह कर प्रताड़ित किया जा रहा है, तो ग्रामीण अविलंब इसकी सूचना पुलिस, जिला प्रशासन या फिर विधिक जागरूकता प्राधिकरण को दें. चीफ जस्टिस ने कहा कि डायन का होना महज एक अंधविश्वास है. वास्तव में डायन शब्द कोई चीज ही नहीं है. हाइकोर्ट के रजिस्ट्रार श्री चौधरी ने डायन प्रथा महज एक अंधविश्वास पर प्रकाश डाला. प्रधान जिला सत्र न्यायाधीश बिपिन बिहारी ने कहा कि डायन प्रथा के उन्मूलन में आम जनता को आगे आना होगा. शिक्षा एवं जागरूकता से ही इसका खात्मा संभव है. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जागरूकता लाने की बाबत सक्रिय है.

उपायुक्त चंद्रशेखर एवं एसपी अनीस गुप्ता ने कहा कि डायन प्रथा उन्मूलन के लिए जिला एवं पुलिस प्रशासन मिलकर काम कर रहे हैं. कई दोषी गिरफ्तार कर जेल भेजे गये हैं. कार्यक्रम के मौके पर जिला जज राकेश कुमार, सीजेएम अरुण कुमार, एसडीजेएम सुशीला सोरेंग समेत अन्य न्यायिक अधिकारी, एसडीओ नीरजा कुमारी व अन्य मौजूद थे.

फिल्म से जागरूकता लाने की पहल करूंगा : प्रकाश झा

खूंटी. सामाजिक कुरीतियों को जागरूकता से ही दूर किया जा सकता है. इसे दूर करना सबों का परम कर्तव्य बनता है. डायन प्रथा किसी भी समाज के लिए अभिशाप है. डॉक्यूमेंटरी फिल्म बनाने का उद्देश्य समाज में जागरूकता लाना है. फिल्म को देश के विभिन्न राज्यों में टीवी चैनल पर चला कर समाज में जागरूकता लाने की कोशिश होगी. यह बातें फिल्म निर्देशक प्रकाश झा ने रविवार को खूंटी में पत्रकारों से कही. उन्होंने कहा कि सामाजिक कुरीतियों को दूर करने व दोषी को सजा दिलाने के लिए देश में सख्त कानून बने हैं. इसका कड़ाई से पालन होना चाहिए. कानून सबके लिए एक है. सबके लिए न्याय देनेवाला है. फिल्म में इस बात को विशेष रूप से फोकस किया जायेगा.

बच्चों के साथ फिल्म मेकर प्रकाश झा व अन्य.

डॉक्यूमेंटरी फिल्म बनी

कार्यक्रम की डॉक्यूमेंटरी फिल्म बनायी गयी. यह फिल्म फिल्म निर्माता प्रकाश झा ने खुद तैयार की. इसे देखने के लिए लोगों की भीड़ जुटी थी.

सुरक्षा के थे पुख्ता इंतजाम

कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा का पुख्ता प्रबंध था. चप्पे-चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती थी. प्रेस प्रतिनिधियों को भी फोटो लेने से कई बार मना करते देखा गया.

आज का दिन 1776 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने ब्रिटेन से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की

खूंटी से हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने शुरू किया जागरुकता अभियान, डायन प्रथा को अंधविश्वास बताया

डायन प्रथा से खूंटी जिला ज्यादा प्रभावित

खूंटी | प्रतिनिधि

डायन प्रथा पर रोकथाम लगाने और इसके प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में जागरुकता कार्यक्रम की शुरूआत की गई है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा खूंटी के तिरला सामुदायिक भवन में इस कार्यक्रम की शुरूआत की गई। इसकी शुरूआत झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस विरेंदर सिंह ने की।

इस अवसर पर उन्होंने कहा कि डायन जैसी कुछ भी नहीं होता है। यह पूरी तरह से अंधविश्वास है। डायन होती है इसका कोई वैज्ञानिक आधार अथवा प्रमाण नहीं है। इसके प्रति जागरुकता फैलाने के लिए झालसा घर-घर जाएगी। उन्होंने कहा कि वर्ष 2007 से सितबंर 2015 तक डायन-बिसाही के 3800 मामले सामने आ चुके हैं। इससे सबसे अधिक खूंटी जिला प्रभावित है। यह चिंता का विषय है। इसी को देखते हुए जागरुकता कार्यक्रम की शुरूआत खूंटी से की गई है। जागरुकता के लिए उन्होंने मुखिया, आंगनबाड़ी सेविका, महिलाएं, पारा लीगल वोलेंटियर्स को आगे आने की अपील की।

रविवार को तिरला में डायन प्रथा को लेकर ग्रामीणों से बात करते चीफ जस्टिस विरेंदर सिंह। • हिन्दुस्तान

उन्होंने बताया कि डायन प्रथा को रोकने के लिए डायन प्रथा प्रतिषेध अधिनियम कानून बनाया गया है। अगर कोई किसी को डायन कहता है अथवा प्रताड़ित करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि ऐसे मामले आने पर तुरंत, पारा लीगल वोलेटियर, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अथवा पुलिस को सूचना दें। आरोपी के खिलाफ गैर जमानती प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। झालसा के सचिव ने कहा कि डायन प्रथा के प्रति जागरुकता बढ़ाने के लिए प्रयास शुरू किया गया है। इसके तहत रथ मेला के अवसर पर मेले में शिविर लगाया जाएगा। इसके अलावा कार्यशाला का भी आयोजन किया जाएगा।

कार्यक्रम को हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार अनिल कुमार चौधरी, डीसी चंद्रशेखर, जिला सत्र एवं प्रधान न्यायाधीश विपिन बिहारी, एसपी अनिश गुप्ता और जिला बार संघ के अध्यक्ष रूपेंद्र नाथ शहदेव ने भी संबोधित किया। सभी डायन प्रथा को अंधविश्वास बताये और लोगों को जागरूक होने की अपील की। कार्यक्रम में खूंटी कोर्ट के न्यायिक दंडाधिकारी, अधिवक्ता और ग्रामीण उपस्थित थे।

बोले मुख्य न्यायाधीश

- डायन-बिसाही जेसी कोई चीज नहीं होती, यह अंधविश्वास है
- डायन प्रथा का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है
- जागरुकता फैलाने के लिए झालसा घर-घर जाएगी
- रथ मेला में जागरुकता के लिए शिविर लगाया जाएगा